संख्या-1/3/96-का-4/2004

प्रेषक,

प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक : 6 जुलाई,2004

विषय : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति में स्थानान्तरण हेतु अन्तिम तिथि सम्बन्धित।।

महोदय,

शासन द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिए निर्गत स्थानान्तरण नीति जो समसंख्यक शासनादेश दिनांक 03 जून,2004 द्वारा निर्गत की गई थी एवं जिसके प्रस्तर-6 में अंकित स्थानान्तरण करने की अन्तिम तिथि 20 जून,2004 को बढ़ाकर दिनांक 30 जून,2004 करने सम्बन्धी समसंख्यक शासनादेश दिनांक 20 जून,2004, तदोपरान्त समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30 जून,2004 द्वारा स्थानान्तरण करने की अन्तिम तिथि दिनांक 7 जुलाई,2004 निर्धारित की गई थी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर-6 में अंकित अन्तिम तिथि दिनांक 7 जुलाई,2004 को परिवर्तित कर दिनांक 10 जुलाई,2004 निर्धारित की जाती है। स्थानान्तरण नीति के शेष प्राविधान पूर्ववत् रहेंगे।

भवदीय,

6/7/04

(प्रदीप शुक्ला)
सचिव

संख्या-1/3/96-(1)का-4/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

6/7/04

(प्रदीप शुक्ला)
सचिव